विश्विकर्मा कामगार कल्याण योजना

चर्चा में क्यों?

12 जुलाई, 2023 को राजस्थान की उद्योग एवं वाणिज्य विभाग मंत्री शकुंतला रावत ने बताया कि उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा 'विश्विकर्मा कामगार कल्याण योजना' की अधिसूचना जारी होने पर इसके क्रियान्वयन की तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वर्ष 2023-24 के पेश बजट में इस योजना के संबंध में घोषणा की गई थी।
- 'विश्विकर्मा कामगार कल्याण योजना' राज्य में महिलाओं, कामगार, विभिन्न वर्ग यथा हस्तशिल्पी, केश कला, माटी कला के दस्तकार एवं घुमंतू वर्ग के व्यक्तियों को स्वयं का रोज़गार उपलब्ध कराने हेतु प्रारंभ की गई है।
- इस योजना के तहत एक लाख लोगों को आवश्यक किट, उपकरण, सिलाई मशीन इत्यादि खरीदने के लिये पाँच हज़ार रुपए की सहायता मिलेगी। योजना से राज्य में स्वरोज़गार के नवीन अवसर सृजित होंगे।
- इस योजना के अंतर्गत राजस्थान शिल्प एवं माटी कला बोर्ड, राजस्थान राज्य केश कला बोर्ड, राजस्थान राज्य विमुक्त घुमंतू एवं अर्द्ध घुमंतू कल्याण बोर्ड, राजीविका एवं कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य के माध्यम से हस्तशिल्प, केश कला के कामगार, माटी कला के दस्तकार एवं घुमंतू वर्ग के व्यक्तियों एवं राजीविका, एनयूएलएम की महिलाओं, श्रम विभाग के चयनित कामगारों को स्वयं का रोज़गार प्रारंभ करने के उद्देश्य से आधुनिक आवश्यक किट, आधुनिक उपकरण, सिलाई मशीन इत्यादि उपलब्ध कराए जाएंगे।
- 'विश्विकर्मा कामगार कल्याण योजना' के अंतर्गत विभिन्न बोर्ड एवं विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र धारक पात्र होंगे।
- योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु विभिन्न बोर्ड एवं विभाग को निश्चित संख्या में तय लक्ष्यों के अनुरूप आवेदकों को लाभान्वित करने का लक्ष्य तय किया गया है। न्यूनतम 18 वर्ष से लेकर अधिकतम 40 वर्ष तक के आवेदक इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/vishwakarma-workers-welfare-scheme